



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डअधिकारीकेकडीजिलाअजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 15सी/2018

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर (राज.)

---प्रार्थी

♠बनाम♠

समस्त ग्रामवासियान **देवखेड़ी** तहसील सावर जिला अजमेर

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राज. काश्त. अधिनियम
निर्णय

दिनांक 06.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प टांकावास में पेश हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम देवखेड़ी तहसील सावर** की जमाबन्दी संवत **2071-74** के खाता संख्या 1 में दर्ज खसरा नम्बर **735 रकबा 0.04 है. किस्म बारानी.1, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.14 है. किस्म बीड़ भूमि सिवायचक खाते में दर्ज है।** उक्त वादग्रस्त भूमि रास्ते में काम में आ रही है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जर्गे नोटिस तलब किया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प टांकावास में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत टांकावास उपस्थित। तथा मौके पर रास्ते के काम आने वाली आराजी को रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाके **ग्राम देवखेड़ी तहसील सावर** की जमाबन्दी संवत **2071-74** के खाता संख्या 1 में दर्ज खसरा नम्बर **735 रकबा 0.04 है. किस्म बारानी.1 में से रकबा 0.04 हैक्ट एवं खसरा नम्बर 670 रकबा 0.14 है. किस्म बीड़ में से रकबा 0.14 हैक्ट. भूमि को रास्ता दर्ज करने हेतु स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।**

आदेश आज दिनांक 06.6.18 को पृथक से लिखा जाकर केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प टांकावास में मज में आम में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी